



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राज.)
 (पीठारानी अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - उचनार झरई)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 299/25 दायर दिनांक 27.9.2025 निर्णय दिनांक 29/09/2025

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कपासन	कपासन
1	<u>उचनार झरई कला</u>	<u>195</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>वडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>हस्ताक्षर <u>हस्ताक्षर गिरदाकर</u></p> <p>हस्ताक्षर <u>हस्ताक्षर</u></p> <p>हस्ताक्षर व मोहर <u>तहसीलदार</u></p>	<p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>उचनार अला</u> प.ह. <u>उचनार झरई</u> खातासं <u>195.199</u></p> <p>में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>	<p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p> <p><u>अ</u></p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

- पटवारी पटवार मण्डल उचनार झरई को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चितौड़गढ़

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन